माननीय दर्शन सिंह, न्यायाधीश के समक्ष

जय कुमार-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

2015 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 961

6 जुलाई 2015

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा अच्छा आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988-धारा 3-भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 34.302,392,394,397 -पैरोल 4 सप्ताह से अधिक-याचिकाकर्ता-कैदी ने अपनी दो बेटियों की शादी को संपन्न करने के लिए पैरोल के लिए आवेदन दायर किया-कहा गया आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि चालू वर्ष के दौरान वह पहले ही घर की मरम्मत के लिए चार सप्ताह की पैरोल का लाभ उठा चुका था -याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पहले पैरोल धारा 3 (1) (डी) के तहत आती थी और तत्काल आवेदन धारा 3 (1) (बी) के तहत दायर किया गया था-आयोजित किया गया कि पैरोल की अधिकतम चार सप्ताह की अवधि को धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (बी) और (डी) के संबंध में संयुक्त रूप से नहीं लिया जा सकता है—चूंकि दोषी ने चालू वर्ष के दौरान धारा 3 (1) (बी) के तहत किसी भी पैरोल का लाभ नहीं उठाया था, इसलिए दूसरी पैरोल देने पर कोई रोक नहीं थी जैसा कि -इस प्रकार, दूसरी पैरोल देने पर कोई रोक नहीं थी।

अभिनिर्धारित किया गया कि एक कैदी अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) के अनुसार अपने, अपने बेटे, बेटी, पोते, पोती, भाई, बहन, बहन के बेटे या बेटी की शादी के लिए अस्थायी रिहाई की मांग कर सकता है। धारा 3 (2) (ख) में यह उपबंध है कि पैरोल की अवधि चार सप्ताह से अधिक नहीं हो सकती है जहां कैदी को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) या (घ) में विनिर्दिष्ट आधार पर रिहा किया जाना है। इसलिए, अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) या 3 (1) (डी) के तहत चार सप्ताह की पैरोल दी जा सकती है। यह प्रश्न कि क्या ये दोनों प्रावधान स्वतंत्र हैं और संयुक्त रूप से नहीं हैं, इस न्यायालय के समक्ष महेंद्र सिंह (उपर्युक्त) के मामले में उत्पन्न हुआ था।

(पैरा 9)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि पैरोल की अधिकतम चार सप्ताह की अवधि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (घ) के संबंध में और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के पाठ को ध्यान में रखते हुए संयुक्त रूप से नहीं ली जा सकती है। यह प्रतिवादियों का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के तहत किसी भी पैरोल का लाभ उठाया है। दूसरी पैरोल देने पर कोई रोक नहीं है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, सुशील कुमार और कृपाल सिंह (ऊपर) के मामलों का संदर्भ दिया जा सकता है। इस प्रकार, अपनी बेटियों की शादी के उद्देश्य से पैरोल देने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई टिकाऊ नहीं है।

(पैरा 10)

इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को इसके द्वारा अनुज्ञात किया जाता है और दिनांक 13.6.2015 के आक्षेपित आदेश को इसके द्वारा अपास्त कर दिया जाता है।

(पैरा 11)

याचिकाकर्ता के वकील ए.एस.त्रिखा

उत्तरदाताओं के लिए राजीव दून, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा

दर्शन सिंह, न्यायाधीश

(1) यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें अधीक्षक, जिला जेल, करनाल द्वारा पारित 13.6.2015 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के विवाह के लिए पैरोल देने के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। परिणामी राहत में, अधीक्षक, जिला जेल, करनाल को याचिकाकर्ता के आवेदन पर पुनर्विचार करने और उसकी दो बेटियों, आरती और ज्योति की शादी करने के लिए आपातकालीन पैरोल देने का निर्देश जारी करने की मांग की गई है, जो 12.7.2015 के लिए निर्धारित बताया गया है।

(2) याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन गोहाना, जिला सोनीपत में भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आईपीसी" के रूप में संदर्भित) की धारा 302,392,394,397 और 34 के तहत दर्ज मामले की प्राथमिकी संख्या 259 दिनांक 10.10.1991 में दोषी ठहराया गया था और तत्कालीन विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सोनीपत द्वारा दिनांक 8.1.1997 के निर्णय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। याचिकाकर्ता द्वारा दायर 1997 की आपराधिक अपील संख्या. 193-DB का भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.2.2006 के निर्णय द्वारा निपटान किया गया था। याचिकाकर्ता ने हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट, 1988 की धारा 3 (1) (डी) के तहत अपने घर की मरम्मत के उद्देश्य से 26.3.2015 से 24.4.2015 तक चार सप्ताह के लिए पैरोल का लाभ उठाया है। याचिकाकर्ता को वैवाहिक पैरोल से इस आधार पर इनकार कर दिया गया है कि उसी वर्ष के दौरान, दूसरी पैरोल की अनुमति नहीं है।

(3) वर्तमान याचिका का प्रतिवादियों द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया है कि कैदी अधिकार के रूप में अधिनियम के तहत अस्थायी रिहाई का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह केवल उसे अच्छे आचरण के लिए और अधिनियम के तहत प्रदान की गई कुछ शर्तों पर दी गई रियायत है। यह भी अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 3 (1) (डी) के तहत घर की मरम्मत के लिए 26.3.2015 से 24.4.2015 तक की अवधि के लिए पहले ही चार सप्ताह की पैरोल का लाभ उठाया है। इसलिए, वह वर्ष 2015 के दौरान अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) या 3 (1) (डी) के तहत किसी भी अतिरिक्त पैरोल का हकदार नहीं है और उसका आवेदन दिनांक 13.6.2015 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। आगे यह अनुरोध किया जाता है कि अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) के तहत आपातकालीन पैरोल केवल तभी दी जा सकती है जब कैदी के परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई हो या वह गंभीर रूप से बीमार हो या कैदी स्वयं गंभीर रूप से बीमार हो। इन दलीलों के साथ, राज्य के विद्वान वकील ने रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता की बेटियों की शादी के बारे में तथ्य न तो दिनांक 13.6.2015 के विवादित आदेश में और न ही प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाब में विवादित किया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के अनुसार पैरोल का हकदार है। याचिकाकर्ता को अस्थायी रिहाई की रियायत को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि वह पहले ही घर की मरम्मत के लिए चार सप्ताह की पैरोल का लाभ उठा चुका है जो अधिनियम की धारा 3 (1) (डी) के तहत आता है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि दोनों उद्देश्यों के लिए अवधि पर अलग से विचार किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को पैरोल की रियायत से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि वह पहले ही घर की मरम्मत के लिए पैरोल की रियायत का लाभ उठा चुका है।अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए, उन्होंने महेंद्र बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1), सुशील कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2) और कृपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य(3) के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

1. 2003(1) आर.सी.आर. (आपराधिक) 217
2. 2000(3) आर.सी.आर. (आपराधिक) 6987
3. 1997(3) आर.सी.आर. (आपराधिक) 735

(5) राज्य के विद्वान वकील ने इस आधार पर याचिकाकर्ता की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया है कि वह अधिनियम की धारा 3 (1) (डी) के तहत घर की मरम्मत के उद्देश्य से पहले ही चार सप्ताह की पैरोल का लाभ उठा चुका है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वर्तमान वर्ष में, कैदी को चार सप्ताह से अधिक की पैरोल की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसका याचिकाकर्ता पहले ही लाभ उठा चुका है। इसलिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है।

(6) मैंने उपरोक्त दलीलों पर विधिवत विचार किया है।

(7) बहस के समय, याचिकाकर्ता की बेटियों के विवाह के बारे में तथ्य बार में विवादित नहीं किया गया है। यहां तक कि विवादित आदेश और उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाब में भी, इस तथ्य पर विशेष रूप से विवाद नहीं हुआ है।

(8) याचिकाकर्ता अपनी दो बेटियों, आरती और ज्योति की शादी 12.7.2015 को अनिल और सुनील के साथ तय करने के लिए पैरोल की मांग कर रहा है। पैरोल की रियायत को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि वह अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के तहत दूसरे पैरोल के लिए पात्र नहीं है क्योंकि वह पहले ही 26.3.2015 से 24.4.2015 तक चार सप्ताह के लिए पैरोल का लाभ उठा चुका है जैसा कि अधिनियम की धारा 3 (1) (डी) के तहत प्रदान किया गया है। लेकिन जिला जेल, करनाल के अधीक्षक का यह दृष्टिकोण कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। अधिनियम की धारा 3 निम्नानुसार हैः -

"3. कुछ आधारों पर कैदियों की अस्थायी रिहाई-

(1) राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट या इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के परामर्श से, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और ऐसी रीति के अधीन, जो विहित की जाए, किसी कैदी को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रूप से रिहा कर सकती है यदि राज्य सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि-
(क) कैदी के परिवार का कोई सदस्य मर गया था या गंभीर रूप से बीमार है या कैदी स्वयं गंभीर रूप से बीमार है; या
(ख) कैदी की स्वयं, उसके बेटे, बेटी, पोते, पोती, भाई, बहन, बहन के बेटे या बेटी की शादी का जश्न मनाया जाना है; या
(ग) कैदी की अस्थायी रिहाई उसकी भूमि पर या उसके पिता की अविभाजित भूमि जो वास्तव में उसके कब्जे में है, पर जुताई, बुवाई या कटाई या किसी अन्य कृषि कार्य को करने के लिए आवश्यक है; या
(घ) किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए ऐसा करना वांछनीय है।

(2) वह अवधि जिसके लिए किसी कैदी को रिहा किया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ताकि यह इससे अधिक न हो-
(क) जहां कैदी को उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट आधारों पर रिहा किया जाना है, तीन सप्ताह;
(ख) जहां कैदी को उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट आधार पर रिहा किया जाना है, चार सप्ताह; और
(ग) जहां कैदी को उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट आधारों पर छह सप्ताह के लिए रिहा किया जाना हैः बशर्ते कि खंड (ग) के तहत अस्थायी रिहाई वर्ष के दौरान एक से अधिक प्राप्त किया जा सकता है, जो, हालांकि, संचयी रूप से छह सप्ताह से अधिक नहीं होगा।

(3) इस धारा के अधीन रिहाई की अवधि किसी कैदी की सजा की कुल अवधि में नहीं गिनी जाएगी।

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी अधिकारी को इस धारा के तहत सभी या इसके तहत निर्दिष्ट किसी अन्य आधार के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकती है।"

(9) एक कैदी अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के अनुसार अपने, अपने बेटे, बेटी, पोते, पोती, भाई बहन, बहन के बेटे या बेटी की शादी के लिए अस्थायी रिहाई की मांग कर सकता है। धारा 3 (2) (बी) में यह प्रावधान है कि पैरोल की अवधि चार सप्ताह से अधिक नहीं हो सकती है जहां कैदी को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (बी) या (डी) में निर्दिष्ट आधार पर रिहा किया जाना है। इसलिए, अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) या 3 (1) (डी) के तहत चार सप्ताह की पैरोल दी जा सकती है। यह प्रश्न कि क्या ये दोनों प्रावधान स्वतंत्र हैं और संयुक्त नहीं हैं, इस न्यायालय के समक्ष महेंद्र सिंह (उपर्युक्त) के मामले में उत्पन्न हुआ था, जिसमें इसे निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः -

"10. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह स्पष्ट है कि विधानमंडल ने अपने विवेक से पैरोल के लाभ को चार सप्ताह तक वर्गीकृत और सीमित करने का विकल्प चुना है जहां कैदी को अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (बी) या खंड (डी) में निर्दिष्ट आधारों पर रिहा किया जाना है। उपर्युक्त उपबंधों का अर्थ इस प्रकार नहीं लगाया जा सकता है कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि चार सप्ताह की अधिकतम पैरोल की अवधि को खंड (ख) के साथ-साथ खंड (घ) के संबंध में संयुक्त रूप से जोड़ा जाना है जैसा कि राज्य के वकील द्वारा तर्क दिया जाना चाहा गया है। यदि विधानमंडल का इरादा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (घ) में विनिर्दिष्ट आधारों के संबंध में चार सप्ताह की अवधि को सीमित करना था, तो उसने अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 (ख) में वर्णित खंड (ख) और (घ) के बीच 'और' शब्द का उपयोग किया होगा, न कि शब्द या जैसा ऊपर देखा गया है। विभिन्न अवधि की योजना जिसके लिए कैदी को रिहा किया जाना है, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ए) से (बी) के तहत प्रदान किया गया है, जो स्वयं इस तथ्य का संकेत है कि निश्चित सीमांकन किया गया है जहां पैरोल उसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए दी जानी है। उपरोक्त सीमा को नजरअंदाज करना कानून के जनादेश को नजरअंदाज करने के समान होगा। माना गया है कि इस मामले में, याचिकाकर्ता ने पहले ही अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के तहत घर की मरम्मत के आधार पर चार सप्ताह की पैरोल का लाभ उठाया था। याचिकाकर्ता का अनुरोध अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अंतर्गत आता है, इस खंड के अधीन पैरोल के लाभ से उसे केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन घर की मरम्मत के आधार पर चार सप्ताह का पैरोल दिया गया था। उत्तरदाताओं की ओर से लिए गए रुख में कोई योग्यता नहीं है। "

(10) विधि के पूर्वोक्त अनुपात को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (घ) के संबंध में और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के पाठ को ध्यान में रखते हुए पैरोल की अधिकतम चार सप्ताह की अवधि संयुक्त रूप से नहीं ली जा सकती है। यह प्रतिवादियों का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 3 (1) (बी) के तहत किसी भी पैरोल का लाभ उठाया है। दूसरी पैरोल देने पर कोई रोक नहीं है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, सुशील कुमार और कृपाल सिंह (ऊपर) के मामलों का संदर्भ दिया जा सकता है। इस प्रकार, अपनी बेटियों की शादी के उद्देश्य से पैरोल देने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने में प्रतिवादियों की कार्रवाई टिकाऊ नहीं है।

(11) उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को एतद्द्वारा अनुमत किया जाता है और दिनांक 13.6.2015 का आक्षेपित आदेश इसके द्वारा अपास्त कर दिया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वे आज से पांच दिनों के भीतर अधिनियम की धारा 3(1)(बी) के अनुसार, 12.7.2015 को तय अपनी दो बेटियों की शादी के लिए पैरोल देने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर कानून के अनुसार पुनर्विचार करें। मामले की तात्कालिकता को देखते हुए, इस आदेश की एक प्रति, इस न्यायालय के पीठ सचिव के हस्ताक्षर के तहत याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को प्रस्तुत की जाए।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा